(घ) इन निर्माणाधीन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही 37 बड़ी तथा 20 मझौली परियोजनाओं के निर्माण को स्वीकृति देने की प्रक्रिया आरंभ किए जाने के क्या कारण हैं और क्या यह सच है कि बड़ी तथा मझौली परियोजनाओं की तुलना में छोटी परियोजनाएं कम खर्चीली और शीघ्र लाभ देने वाली होती हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 1951-52 से 1992-93 तक बड़ी व मझौली सिंचाई तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं पर हुआ कुल व्यय इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

1. बड़ी व मझौली सिंचाई .	34,340.27
2. लघु सिंचाई	
राज्य . . .	10,222.09
संस्थागत . .	8,949.25
कुल (लघु सिंचाई) .	19,171.34
3. कुल योग (बड़ी व मझौली तथा लघु सिंचाई)	53,511.61

(ग) 1991-92 के अन्त तक अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने की अवधि के लिए उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या, उन पर किया गया व्यय और उनकी शेष लागत इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

निर्माणाधिन परियोजनाए	संख्या	1991-92 के अंत तक व्यय	शेष लागत
बड़ा . .	158	20,344	34,126
मझौली . .	226	2,497	2,300
विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाएं .	95	2,172	4,137

(घ) आठवीं योजना (1992—97) नीति के अनुसार वित्त पोषण में प्राथमिकता निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए दी जा रही है। तथापि क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने अथवा जन जातीय और सूखा प्रवण क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने के लिए नई परियोजनाओं पर विचार किया जाना है। तद्नुसार 18 बड़ी परियोजनाओं, 57 मझौली परियोजनाओं और 38 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाओं पर नई परियोजनाओं के रूप में विचार किया जा रहा है।

केवल प्रत्यक्ष निवेश को ध्यान में रखते हुए लघु सिंचाई योजनाओं पर आने वाली प्रति हेक्टेयर लागत बड़ी व मझौली सिंचाई परियोजनाओं के मुकाबले कम दिखाई देती है। तथापि लघु सिंचाई योजनाओं में नलकूपों/पम्प सेटों को ऊर्जित करने के संसाधन में आनुपातिक लागत को ध्यान में रखा जाता है, फिर भी लघु योजनाओं पर आने वाली प्रति हेक्टेयर लागत बड़ी व मझौली परियोजनाओं की तुलना में, कम नहीं होती है। इसके अलावा बड़ी व मझौली परियोजनाओं का उपयोगी जीवन लघु योजनाओं के मुकाबले ज्यादा होता है।

जल निती के कार्यान्वयन में घटिया प्रबन्ध व्यवस्था

4213. श्री राम जेठमलानी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1994 के फायनैंसियल एक्सप्रेस में "पुअर मेनेजमैंट कॉज डिले इन वाटर पालिसी इम्पलीमेंटेशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि स्वीकृत राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत जारी किए गए उन दिशा-निर्देशों को, जिनका उद्देश्य कार्यकुशलता में वृद्धि करना था और जो आर्थिक रूप से भी लाभप्रद थे, लागू नहीं किया जा सका;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और क्या यह सही है कि देश में उत्पादित कुल सिंचाई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) वर्ष 1991–92 के अंत में उत्पादित सिंचाई क्षमता तथा उपयोग में लाई गई क्षमता में कितने प्रतिशत अंतर था और वर्ष 1996–97 में यह अंतर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है; और

(ङ) उपयोग में न लाई गई सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए कितनी परियोजनाएं आरंभ किए जाने की संभावना है और उन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारें समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय जल नीति का क्रियान्वयन कर रही है।

(ग) और (घ) वर्ष 1991–92 और 1996–97 के अन्त तक सृजित एवं उपयोग की गयी सिंचाई क्षमता तथा सृजित क्षमता की तुलना में अन्तराल का प्रतिशत निम्न प्रकार है :

(मिलियन हेक्टेयर)

के अन्त तक	सिंचाई क्षमता		उपयोग में अन्तराल	सृजित क्षमता की तुलना में अन्तराल का प्रतिशत
	सृजित	उपयोग		
1991-92	81.1	72.9	8.2	10.1
1996-97 (संभावित)	96.9	86.5	10.4	10.7

(ङ) क्षमता का सृजन और इसका उपयोग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सिंचाई शुरू करने तथा इसके पूर्ण उपयोग के बीच कुछ वर्षों के विलम्ब से बचा नहीं जा सकता क्योंकि कृषकों को खेत चैनलों का निर्माण करने तथा सिंचित कृषि के लिए भूमि तैयार करने में समय लगता है। वर्षा पोषित कृषि के बदले सिंचित कृषि को अपनाने में भी कृषि तकनीकों में बहुत परिवर्तन करना होता है जिसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में कृषकों को समय लगता है।

इस अन्तराल को कम करने के लिए वर्ष 1974-75 से एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहले से क्रियान्वित किया जा रहा है। आठवीं योजना (1992—97) के दौरान इस कार्यक्रम के लिए परिव्यय 2510.13 करोड़ रुपए है। अन्य उपचारी उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं, केवल क्षेत्र संबंधी सूचना तैयार करने (रिपोर्टिंग) के बजाय जल और फसल के लेखा पर बल, पुरानी योजनाओं की वास्तविक क्षमता का पुनर्मूल्यांकन, एक समान पद्धति से डाटा रिपोर्टिंग, तथा वार्षिक निष्पादन की पुनरीक्षा।

Framing of Rules by the National Commission for SC/ST

4214. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that till date no rules and procedures have been framed by the National Commission for SCs/STs which came into existence on 12th March, 1992; and

(b) if so, what are the reasons thereof and by when the Rules and Procedures are expected to be framed in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) No, Sir. The National Commission have adopted the Rules of Procedure and the same have been notified vide Gazette Notification dated 5th April, 1994.

(b) Does not arise.

Enforcement of Sixth Schedule of the Constitution in Madhya Pradesh

4215. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh is considering enforcement of the Sixth Schedule to the Constitution, providing autonomy to the schedule areas in the State;

(b) if so, whether at present the Sixth Schedule is applicable only in four States viz. Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram;

(c) by when a final decision is likely to be taken in this regard;

(d) whether the ST population in Madhya Pradesh is 1.54 crores as against total population of 6.60 crores; and

(e) to what extent the enforcement of the Sixth Schedule of the Constitution will help in the development of tribals in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The proposal is under consideration of the State Government.

(d) According to 1991 Census total population of Madhya Pradesh State is 6.62 crores out of which Scheduled Tribe population is 1.54 crores.

(e) The State Government of Madhya Pradesh have reported that the matter is at present under examination and, therefore, no comments can be offered at this stage in this regard.

Countering of Drug Addiction and Alcoholism

4216. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether a number of experts participated in a Seminar on "Countering drug addiction and alcoholism through arts" organised by the Indian International Rural Culture Centre on the 8th January, 1994;